न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2021/114

1. हनुमान प्रसाद पुत्र मांगीलाल उम्र 72 साल
2. खेमाराम पुत्र श्री बन्नालाल उम्र 34 साल
3. सुरेश पुत्र बन्ना लाल उम्र 28 साल
4. कानाराम पुत्र रूपनारायण उम्र 32 साल
5. रमेश पुत्र रूपनारायण उम्र 29 साल
6. श्रवण पुत्र रूपनारायण उम्र 27 साल
7. सोनी देवी पत्नि रूपनारायण उम्र 40 साल
8. लादूराम पुत्र मांगीलाल उम्र 53 साल
9. घीसी देवी पत्नी बन्नालाल उम्र 58 साल
   समस्त जातियान जाट, निवासीयान ग्राम सिंवानिया, तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फुलेरा मु० सांभर लेक, जिला जयपुर राजस्थान
2. माफी दरगाह झाडूकस जरिये राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर

–रेस्पोन्डेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.02.2021 मुकदमा संख्या 289/2018 बउनवानी हनुमान प्रसाद बनाम राज० सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक, जिला जयपुर ।

उपस्थित–
1. श्री कृष्ण कुमार पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री मोहम्मद फिरोज हसन रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–19.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 23.02.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिवानिंया तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित भूमि का अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर नामान्तकरण संख्या 204 दिनांक 25.08.2004 खसरा नं. 279/2 रकबा 10 बीघा 10 वीस्वा की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 के अनुसार इन्द्राज खातेदारों के नाम किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन/तलबाना पेश नहीं करने की दशा में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 जाब्ता दीवानी खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 23.02.2021 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 23.02.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट हंनुमान प्रसाद पुत्र मांगीलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर दिनांक 23.02.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की एवं प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर प्रार्थीगण को नोटिस प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131/136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सैटलमेंट संवत 2015 से 2029 में वर्णित खसरा नंबर 56/1 की आराजी खसरा नंबर 278/1 रकबा 36 बीघा, 278/2 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 67 बीघा 05 बिस्वा की खातेदारी कॉलम नंबर में इस्माइल व इब्राहीम पि0 घासीशाह जाति फकीर मुसलमान सा० सांभर के नाम अंकित थी एवं आराजी खसरा नंबर 277 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा बारानी 4, खसर नंबर 279 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा खतोनी बंदोबस्त संवत 2015 से 2029 में माफी दरगाह झाड़ूकस बअहतमाम घासी शाह पुत्र इदूशाह फकीर सा० सांभर के नाम अंकित थी, तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से प्रार्थीगण के पूर्वजों ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था। खरीद करने के पश्चात् नामान्तकरण उनके पक्ष में खोला गया था। परन्तु नामान्तकरण संख्या 204 दिनांक 25.08.2004 के अनुसार पटवारी हल्का ने बिना प्रार्थीगण को नोटिस व सूचना दिये खसरा नंबर 279/2 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी को विलोपित कर दिया तथा गलत रूप से भूमि को माफी दरगाह झाड़ूकस के नाम दर्ज कर दिया। उपरोक्त नामान्तकरण प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये एवं बिना उनको जानकारी दिये विलोपित कर दिया गया, जबकि इस सबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, के बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आदेश के प्रार्थीगण/अपीलांट का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर माफी दरगाह झाड़ूकस के नाम दर्ज कर दिया । जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131/136 एल आर एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी भूमि के रिकार्ड को दुरूस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की जानकारी के अभाव में बिना गुणावगुण पर सुने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में खारिज फरमा दिया। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का तथा दस्तावेजात पेश करने का एवं उसके आधार पर प्रकरण को निर्णित किया जावें ऐसी मंशा कानून की है। परन्तु उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को बिना गुणावगुण पर सुने ही आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया है। प्रार्थीगण/अपीलांट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है, जो कि कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ है । जिन्हे इस बात की कभी जानकारी नहीं रही कि उनके द्वारा नोटिस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए है, प्रार्थी अपीलांट हमेशा अपने प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के पश्चात् प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहे है, परन्तु इस तथ्य की जानकारी कि प्रकरण मे नोटिस पेश किये जाने है, उनको कभी नहीं रही, अन्यथा उनके द्वारा नोटिस पेश कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अवश्य की जाती। परन्तु प्रार्थीगण/अपीलांट के अधिवक्ता ने इस कानूनी तथ्य के बारे में अवगत कराया तथा उक्त नोटिस भी अधिवक्ता के द्वारा ही पेश किए जाने थे, परन्तु जानकारी के अभाव में एवं कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण उक्त नोटिस के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर दिनांक 23.02.2021 निरस्त किया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जावे एवं प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर प्रार्थीगण को नोटिस प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की तामिल किये जाने हेतु कई बार अवसर दिया गया एवं दिनांक 13.11.2019 को रजि0 नोटिस पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। फिर भी अपीलांट्स द्वारा रजि0 नोटिस पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में सम्मन/तलबाना पेश नहीं करने की दशा में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 जाब्ता दीवानी खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक दिनांक 23.02.2021 उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 28.03.2021 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद खसरा नंबर 279/2 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में हुये इन्द्राज को लेकर है। अपीलांट का कथन है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को बिना गुणावगुण पर सुने ही आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया है। प्रार्थीगण/अपीलांट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है, जो कि कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ है । जिन्हे इस बात की कभी जानकारी नहीं रही कि उनके द्वारा नोटिस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए है, प्रार्थी अपीलांट हमेशा प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहे है, परन्तु इस तथ्य की जानकारी कि प्रकरण मे नोटिस पेश किये जाने है, उनको कभी नहीं रही, अन्यथा उनके द्वारा नोटिस पेश कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अवश्य की जाती। ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थीगण को एक अवसर दिया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 23.02.2021 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण को नोटिस/सम्मन पेश करने हेतु एक अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्वत् निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24.04.24 को न्यायालय उपखण्ड अधि0 सांभरलेक के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर